RAJYA SABHA

Tuesday, the 18th March, 1997/*27th Pliguna, 1918 (Saka)*

The House met at eleven of the Clock, Mr. Chairman *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा संस्थाओं का चलाया जाना

*321. **श्री ईश दत्त यादव** :
श्री राम गोपाल यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(f) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अवैध चिकित्सा संस्थाएं धडल्ले से चलाई जा रही है;

(g) यदि हां, तो राज्य में ऐसी कितनी संस्थाएं है और ये संस्थाए कब से चल रही है;

(h) क्या यह सच है कि राज्य में चल रही अवैध चिकित्सा संस्थाओं को राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जैसाकि दिनांक 9 फ़रवरी, 1997 के "दैंनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(i) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले को गंभीर, समझा गया है और महानिदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस संबंध में जांच-पड़ताल करने हेतु अनुदेश दिए गए है। अगली कार्यवाई जांच पड़ताल के परिणाम पर निभर करेगी।

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर सभापति जी, उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में अब तक कोई प्राइवेट मैडीकल कॉलेज नही रहा है। वर्तमान रक्षा मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होने एक नीति निर्धारित की कि उत्तर प्रदेश में भी भारत सरकार के नियमों के अनुसार, और मेडीकल काउंसिल के नियमों के अनुसार प्राइवेट कॉलेजिस खोले जाएंगे लेकिन मेरी जानकारी में अब तक कोई कॉलेज नही खुला है। परन्तु उत्तर प्रदेश के अंदर कई अवैध मैडीकल कॉलेज है जिनको न मैडीकल काउंसिल से परमिशन मिली है और न भारत सरकार से अनुमति मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिनको रिकमेंड नही किया, एसी संस्थाएं वैध ढंग से चल रही है। इनमें जो बच्चे पढ़ने जाते है, उनसे बहुत अधिक रुपया लिया जाता और उनसे भविष्य तथा जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है क्योकि वह किसी परीक्षा में शामिल नही हो सकते, न ही उन्हे कोई प्रमाणपत्र मिलता है। इसलिए मैंने मंत्री जी से यह जानना चाहा था : मंत्री जी को मै धन्यवाद दूंगा कि इसमें उन्होने प्रोम्ट ऐक्शन लिया है लेकिन मेरे प्रश्न का जो भाग "ख" और "ग" है, उसका उत्तर उन्होने नही दिया है इसलिए मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूगा, मैंने पूछा था कि राज्य में ऐसी कितनी संस्थाएं है और यह संस्थाए कब से चल रही है, मन्त्री जी ने इसका उत्तर नही दिया है। मै इसका उत्तर चाहूगा और दूसरा यह कि क्या यह सच है कि राज्य में चल रही अवैध शिक्षा संस्थाओं को राज्य सरकार के जो उच्च अधिकारी है, उनका संरक्षण प्राप्त है? मान्यवर, राज्य सरकार के मैडिकल फ़ैकलिटी के एक सचिव है जिनकी जिम्म्दारी है कि प्रदेश के अंदर इस तरह के अवैध कॉलेज न चलें किन्तु मेरी जानकारी में वह स्वयं इस तरह के तीन-चार कॉलेज चला रहे है। क्या मंत्री जी इस संबंध में इस माननीय सदन को जानकारी देंगे कि इस तरह की कितनी संस्थाएं उत्तर में चल रही है और कौन-कौन लोग इन संस्थाओं को चला रहे है?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, हमारे पास जो उत्तर प्रदेश से सूचना मिली है, उसके हिसाब से तीन मैडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनकी सूचना हमारे पास आई है कि वह इस तरीके से चल रहा है। एक रूरल मैडिकल कॉलेज सीतापुर में है, एक राजीव गांधी कॉलेज अलीगढ़ मे और एक जाकि हुसैन कॉलेज अलीगढ में है। इसमें होता यह है कि हमारे कुछ नियम होते हैं जिनके जरिये हम उसकी इजाजत देते हैं। उसमें अगर कोई भी मैडिकल कॉलेज हमारे पास रिकमीशन के लिए आता है तो पहले हम उसमें गवर्नमेंट से एसेंशैलिटी सर्टीफिकेट मांगते है, यूनीवसिर्टी का ऐफीलिएशन मांगते हैं और सारे कागजात देखते हैं कि उनके पास 25 एकड़ जमीन है या नहीं जिसकी उन्हें जरूरत है। उसके बाद मैडिकल कांउसिल आफ इंडिया की टीम वहां जाती है, उसकी इंस्पैक्शन करती है और उसके बाद आपनी रिपोर्ट देती है।

†सभा में यह प्रशन श्री ईश दत्त यादव पूछा गया।

फिर उस रिपोर्ट के आधार पर ही हम उसको रिकमीशन देते है। दिक्कत हमारे सामने यह आती है कि अगर कोई इल्लीगल कांलेज चल रहा है और उसकी अगर कार्यवाही भी आप कहना चाहते हैं तो सिर्फ दस हजार रूपये जुर्माना लगता है । इस दस हजार रूपये से कुछ होता नहीं है । इसके ऊपर यहां पर एक मैटर पैडिंग पड़ा हुआ है जिसमें यह सजैशन था, यूनीवर्सिटी प्रान्ट कमीशन ने बनाया था – the Bill Is yet to be taken Into consideration

जिसमें हमने कहा था कि कम से कम 6 महीने की सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए जो बगैर इजाजत के लडकों की जिन्दगी के साथ खेलते है और उनके ऊपर एक लाख रूपये फाइन होना चाहिए जो दस लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है । तो जब तक यह कानून लागू नहीं होगा तब तक यह चीजें होती रहेगी और हमारे पास इस तरह का कोई औजार नहीं है । हम स्टेट गवर्नमेंट को लिखते है, स्टेट गवर्नमेंट से कहते हैं कि इनकी हिरिकोमाइज कीजिए, ऐक्शन लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मेजीस्ट्रेड के जरिये उनकी पकड-पकड कीजिए, एडवरटाइजमेंट निकालिये ताकि बच्चों को पता चले कि उनका एडमिशन इल्लीगल कालेज में हुआ है । सब सारी कार्यवाह हम लोग करते हैं।

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, पूरे देश में इलेक्टरों होम्योपैथिक कालेजों को कहीं भी मान्यता प्राप्त नही है । और भारत सरकार ने भी उनको मान्यता नहीं दी है । कहीं भी मान्यता नहीं मिली हुई है। 9 फरवरी को “दैनिक जागरण” में यह समाचार छपा था जिसका मैंने अपने प्रश्न में रेफेंस दिया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो “दैनिक जागरण” के समाचार प्रकाशित हुआ था कि हेल्थ डिर्पामेंट के एक सेक्रेटरी है, मैडिंकल फेक्ल्टी के एक सेक्रेटरी है जो खुद इस तरह की संस्थाओं को चला रहे हैं । क्या उन संस्थाओं की जांच के बारे में आपने कोई आदेश दिया है या नहीं और आपने पूरे प्रदेश में इस तरह की संस्थाओं की जांच के लिए कब आदेश दिया और कब तक उसकी रिपोर्ट आ जाने की संभावना है?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : सर, यह जो माननीय सदस्य ने कहा, यह चीजें हाई कोर्ट में भी है और आज उस पर बहस हो रही है । हम लोगों ने यह कदम उठाया है। एक अफसर जिसका आप नाम ले रहे हैं जिनकी सपोर्ट से यह इल्लीगल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं , उनको हटाया गया था । फिर वह रिइंस्टेट हुए, फिर उनके ऊपर कोई कार्यवाही की जा रही है । हमें उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मिली है कि कलक्टर को फिर से आदेश दे दिये गये है कि यह जो इल्लीगल इंस्टीटयूशन चल रहे है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी । जहां तक इलेक्टरों होम्योपैथिक सिस्टम की बात है उसमें 1993 में हमारे जो सेक्रेटरी थे उनको आर्डर दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि वह जो सिस्टम है हमारे मुल्क में रिकोप्राईज्ड नही है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे मुल्क में यह रिकोप्राइजूड हो, उसके पूरे आकंडे उनको देने होंगे । जब तक साइंटिफिक पेपर्ज नहीं आएंगे, पूरे आंकडे, नही आंएगे, जब तक साईटिफिक पेपर्ज नहीं आएंगे, हमारे लिए किसी नये सिस्टम को रिकोमाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है । उनको कहा गया है कि जो पपेर्स अब तक हमें दिये गये हैं । उनको बेसेज पर हम डिसिजन रिकोमाइजड करने का नहीं ले पाए हैं । उनकी हमने यह भी कहा था कि अगर वह रिकोमाईज कराना चाहते हैं तो अपनी सपोर्ड में और पेपर दाखिल करें । हम आज भी खुले हुए हैं । जो भी डाकुमेंट या आंकड़े इस सिस्टम की सपोर्ट करते हैं वह हमें हैं । यह सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था नाइंटीथ सेंचुरी में इटली और जर्मनी में और उसके बाद कोई सपोडिंग डाकुमेंड नहीं है जिसके मेसेज पर हम डिमिजम ले पाएं । मुझे एक डेलीगेशन भी मिला था। मैने उसे यह कहा था कि आप सारे सपोडिंग डाकुमेंड भेजिए, हम इसको फिर से एग्जामिम करेगे और अगर इस सिस्टम में कोई दम है तो हम इस सिस्टम को रिकामाइज करने के प्रोसेस में लाएंगे ।

श्री राम गोपाल यादव : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे एक नयी बात और सामने आई कि जो फर्जी मेडिकल कालेज चल रहे हैं उनमें दो कालेज ऐसे हैं. जिनमें हमारे देश के दो सम्मानित चेतओं का नाम जोड दिया है फर्जी काम करने वाले लोगों ने । कानून यह है कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर संस्था उस व्यक्ति से जो जुडी हुई है और संस्थाएं जैसे राजीव जी के नाम पर और जाकिर हुसैन के नाम पर संस्थाएं है, कोई भी आदमी किसी व्यक्ति के नाम पर संस्था नहीं खोल सकता । इस कानून का भी उल्लघंन हुआ है इन संस्थाओं के जरिये । दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता है “आंखों देखी” इस कार्यक्रम में सारे लोगों ने देख होगा जिसमें इन फर्जी मेडिकल कालेज के छात्रों और व्यवस्थापकों के बीच में सीधा डायलॉग दिखाया गया । जब यह टेलीकास्ट हुआ तो सारे देश ने देखा बच्चों को रोते हुए और यह कहते हुए कि उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । हमे पता ही नहीं था कि यह

संस्था मान्यता प्राप्त नही है। उनसे लाखों रुपये फ़ीस के रुप में लिये जा रहे है। यह जो फ़ोजरी है तरह-तरह के तमाम कानून है, 10 हजार रुपये इंडियन पिनल कोट की, सी.आर.पी.सी. की धाराओ का उल्लंघन यह लोग कर रहे है, फ़र्जी संस्थाए चला रहे है। मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहुंगा कि और धाराओं के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उस संबंध में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को यही से कोई निर्दश दिया दिया जायेगा? क्या उत्तर सरकार ने जी जांच प्रारंभ की है, उसमें अभी तक कोई प्रगति की है? अगर की है तो उस जांच की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी? इन सारी चीजों से सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी: सर, इस तरह की कोइ भी बात जब हम लोगों की नजर में आती है तो उस पर फौरन कार्यवाही की जाती है। जैसेकि मै माननीय सदस्य को बताना चाहता है कि राजीव गांधी रूरल मेडीकल कॉलेज, सीता के नाम से जो एक मेडीकल कॉलेज शुरू किया गया था, यह 1994 में शुरू हुआ था, उस के बाद फौरन इस केस पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ विचार किया और उन्हे कहा कि आप इसकी पब्लिसिटी कीजिय- अखबारो मे इश्तार कीजिए कि यह रिकॉप्राइज नही है। स्टेट गवर्नमेट को यह भी कहा गया की आप कंसर्ड यूनिवर्सिटी को बताइये की यह रिकॉप्राइज नही है, इसलिए उसे एफिलिएशन न दे। इस के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के भ्रू उन पर कार्यवाही की जाए। उसके बाद हमें कोई खबर नही मिली कि इस में उन्होने क्या किया क्योकि मेनली यह मैटर स्टेट गवर्नमेंट्स डील करती है। मगर चूंकि यह बहुत सीरियस मैटर है इसलिए मै माननीय सदस्य को बताना चाहता हू कि "विद इन ए मंथ" यह जितने कॉलेज है उस पर क्या कार्यवाही की है और ये किस पोजीशन में है, इसको हम देखेंगे । महोदय, जो जाकिर हुसैंन कॉलेज अलीगढ़ है उन्होने इश्तहार दिया था तो उस के बाद हम ने फौरन कार्यवाही की और उस के बाद उन्होंने न कोई एडमीशन लिया है, न उसमें कोई इंक्पेक्शन की मांग की है। तो वह वही-का-वही रूक गया है । मगर यह जो सीतापुर मे है, इसके बारे मे हमें सूचना जरूर मिली है कि इसमें कुछ लड़के एडमिट हुए है और इस मे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ प्रेशर ही नही बल्कि उन से एक "फोलो-अप" रिपोर्ट भी मंग़ाकर रखूगा और माननीय सदस्य की उससे सूचित करूंगा कि हम लोगों ने क्या कार्यवाही की है और क्या हम करने जा रहे है?

श्री राजनाथ सिंह "सूर्या" : मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि एक शिकायत उस बारे में प्राप्त हुई है कि स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी की देख रेख में या उन के संरक्षण मे इस प्रकार का कोई कार्य चलाया जा रहा था और उनको हटाने के आदेश भी दे दिए गए है । महोदय, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के बारे में पिछले कुछ वर्षो से अनेक प्रकार की शिकायते प्राप्त हो रही है और शायद आप को यह ध्यान होगा सी.बी.आई. ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात भी कही है। मै उस प्रसंग को यहा विस्तार में नही ले जाना चाहता । साथ ही आप के ध्यान में यह बात भी आई होगी कि कुछ राजनीतिक नेताओं के उत्तर प्रदेश में प्राईवेट मेडीकल कॉलेज खोलने के बारे मे समय-समय पर चर्चा भी की गयी है । तो यह जो चर्चाए हो रही है, उन में जो अधिकारियों की साठ-गाठ सके कारण जो स्थिति उत्पन्न हो रही है और बच्चों साथ खिलवाड़ हो रहा है ।, उसमें आप कहते है कि केवल 10 हजार रूपए जुर्माना करने से अधिक कोई अधिकार नही है । महोदय, आई.पी. सी. की ऐसी तमाम धाराए है जिन का उपयोग हो सकता है । तो क्या आपको इस बात की कोई जानकारी है कि इन का उपयोग हो सकता कि इन का उपयोग राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण नही हो रहा है?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : सभापति जी, मुझे ऐसी कोई जानकारी तो नही है, मगर इस के दो पहलू है । एक तो इंडियन मेडिकल कॉउंसिल एक्ट में यह है कि उन पर 10 हजार रूपए का जुर्माना कर सकते है । दूसरे आप मे जो आई.पी. सी. का सवाल उठाया, यह तो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है । वह उस में एक्शन हो सकते है।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मेडीकल कॉलेज खुलने का एक बड़ा सेट प्रोसीजर है और हम उस प्रोसीजर के हिसाब से चलते है । अब उस में स्टेट गवर्नमेंट को एसोसियल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज को एफिलिएशन देना पड़ता है यूनिवर्सिटीज को एफिलिएशन देना पडता है और जमीन के पेपर्स तैयार करने पड़ते है । तब उस बेसिस पर तब मेडीकल कॉलेज खोलने की परमीशन देते है । अब किस को प्रोटेक्शन मिलता है और कौन क्या करता है, यह तो

T^ स्टेट गवर्नमेंट को देख कर हमें जवाब देना पड़ता है । मगर सभापति महोदय, मै भि इस बात से संतुष्ट नही हूं कि यह जो 10 हजार रूपये का फाइन है, इसके कोई मायने नही होते है क्योकि कोई भि सजा मैंनेजमेंट के ऊपर नही होती है बल्कि वहां के स्टूडेंट्स उस से सफर करते है तो हमें कोई भि ऐसा लैजिसलेशन लाना चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि ये लोग जो स्टूडेंट्स को बहकाकर कॉलेजेज में एडमीशन दे रहे है, इनके ऊपर सख्त-से-सख्त कार्यवाही हो । इसलिए मै चाहता हूं जी हमें इस एक्ट में जो पड़ा हुआ है, उस में कम-से-कम 10 लाख रूपये फाइन और 6 महीने की सजा का प्रावधान करना होगा अन्यथा इन चीजों को रोकना बड़ा मुश्किल होगा।

श्री राजनाथ सिंह "सूर्या" : क्या आप ऐसा एक्ट ला रहे है?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : जी, हां।

SHRI S.B. CHAVAN: Sir, from the reply of the hon. Minister it is very obvious that he is very sympathetic in regularising the whole thing. At least that is the impression that I get from the fact that they should have so much of land, they must do this and they must do that. frist of all. I would like to know from the hon. Minister the number of colleges where the students have compieted. the' course of five years and have gone out. If the affiliation is given by a university, are they allowed to practise? I would like to know from the Minister, if they are practising, whether there is any report of any mishap taking place because of lack of proper education in medical faculties. I would also like to know whether these students are allowed to practise in that area or not. There is one more thing. That is the involvement of the Secretary of the Department. He seems to be involved. That is how it is being alleged. If that is so, why don't you take action against the officer who is, in fact, involved in this. I am not aware whether he is involved or not. These arc the three or four questions on which I would like to have some information.

SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI: Sir, it is not a question of having a sympathetic attitude. There are certain guidelines on which we give recognition to a medical college. Now the guidelines are that they must have an essentiality certificate from that particular State Government; they should have an affiliation certificate from a university; they must have 25 acres of land so that they can apply for permission for a medical college. It is not a question of sympathy. These are the guidelines laid down by the Medical Council of India and we can even take into consideration whether they can open a medical college or not. After the students pass from the medical colleges, they are registered by the Medical Council of India and after that they are allowed to practise or they can join any service, as they like. According to the Indian Medical Council Act and MCI norms, we are bound by those guidelines. We cannot go beyond those guidelines because MCI is an autonomous body. The only thing that we closely monitor is whether they have met those conditions which are laid down, or not.

Regarding students who pass out, every student, if he is passing out from a recognised medical college, is registered by the Madcal Council of India as a doctor and then he is allowed to practise.

SHRI S.B. CHAVAN: Is he allowed to practise'.'

SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI: He is allowed to practise or go to a hospital and take up a job.

SHRI MAHESHWAR SINGH: That is about allopathy. What about homoeopathy?

श्री मोहम्मद आजम खान : चेयरमेन सर, यह सही है शिकायत फर्जी मेडीकल कॉलेजों की, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जहां पिछली सरकार ने प्राइवेट कालेजों के खोलने का कैबिनेट डिसीजन लिया, साऊथ स्टेटस में ऐसे कई मेडीकल कालेज चलते है प्राइवेट और बड़ी कामयाबी से चलते है, उत्तर प्रदेश में यह प्रोब्लम है कि फर्जी मेडीकल कालेज खुल रहे है, इसकी वजह क्या है कि कई साल हो गए है उत्तर प्रदेश सरकार को तय किए हुए कि प्राइवेट मेडीकल कालेज खुलने

चाहिए, लेकिन इतना सख्त उनका प्रोसीजर है और इतने परेशान किए जाते है कि एक भी मेडीकल कालेज जेन्यून नही खुल सका है । तो मंत्री जी क्या यह बताएंगे, उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का हिस्सा है, कॉलेजों के बारे में, आप क्या फैसला लेंगे जहां चार साल, पांच साल पूरे हो गए है? उत्तर प्रदेश में ऐसे कई इंजीनियरिंग कालेज है, जिनको पोलिटिकल रिकोगनिशन मिली । पहले कॉलेज खोल लिए गए स्टूडेंट्स ने अपने कोर्स पूरे कर लिए, जब उनके कोर्स के साल पूरे हो गए तो उनको रिकोगनिशन मिल गई। दूसरे प्रदेशों में ऐसे ही मेडीकल कालेज खोले गए और स्टेट गवर्नमेंट ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दाखिल करने के लिए एलाऊ किया, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा तरीका है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दाखिल करने के लिए उन मेडीकल कालेजों को चलाया जा सकता है । साऊथ स्टेट्स में ऐसे बहुत से मेडीकल कालेज चल रहे है और देश की सेवा कर रहे है । उत्तर प्रदेश में सरकारी मेडीकल कालेज कितने है, वह तो आपको मालूम ही है । देश का यह सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा यहां गरीबी है और प्राइवेट मेडीकल कालेज के नाम पर यहां कुछ नही है । तो क्या उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडीकल कालेज खुले, उनको इसकी इजाजत मिले, कम से कम उन्हें परेशान किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बन पाएगी ताकि वहां ईलाज हो सके और लोगों को राहत मिल सके?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : सर, कानून तो पूरे देश के लिए एक है। अगर साऊथ में खुल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी खुल सकते हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त सिर्फ दो प्राइवेट मेडीकल कालेज हैं जो रिकोगनाइज्ड हैं और ९ गवर्नमेंट के मैडीकल कालेज हैं। इधर कुछ अर्से से पिछले साल भर में कुछ और एप्लीकेशन्स आई है उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडीकल कालेज की, जो देखी जा रही है । उनसे कंडीशन्स भी सारी कही गई है कि ह मीट करे और उसके बाद वह प्रोसेस में डाली जाएंगी । सवाल यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूकावट नहीं होती है । प्राइवेट मेडीकल कालेज जो लोग लगाना चाहते हैं, अगर वे कंडीशन्स मीट करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि उनको इजाजत न दी जाए और यह जो असेन्सिलिटि सर्टिफकेट प्राइवेट मेडीकोज के पास होना असेन्सिलिटि सर्टिफिकेट प्राइवेट मेडीकोज के पास होना चाहिए वह तो स्टेट गवर्नमेंट देती है । जब स्टेट गवर्नमेंट असेन्सियलिटि सर्टिफिकेट दे देती है, यूनिवर्सिटी उसकी एफिलिएशन दे देती है, लोगों के पास इतना पैसा होता है और अपनी एक गांरटी एमाउण्ट, दे देते हैं, तो हमारी तरफ से तो जरा सी भी रूकावट नहीं होती है मेडीकल कालेज खोलने में ।

**322[The Questioner (Shri Ahmed Patel) was absent. For answer Vide Col-30 infra.]*

*323.[77ie *Questioner (Dr. Y. Laxmi Prasad) was absent. For answer Vide Col, 31 infra.]*

Dual policy towards scientific and non-scicntific staff of ICMR in assessment and promotion rules

*324. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ICMR has a dual policy towards assessment and promotion rules of its scientific and non-scientific saff;

(b) whether it is also a fact that such a dual policy exists only with respect to ICMR as distinct from other research establishments like CSIR and DRDO etc.;

(c) if so, whether or not, such a policy adversely affects the morale of the non-scientific staff and the administrative functioning of the laboratories; and

(d) if so, by when such a policy will be rectified?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQ-BAL SHERVANI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The ICMR has three categories of employees viz. Scientific, Technical and Administrative.

Scientists are governed by the ICMR Research Cadre Rules which provide for merit promotions on the basis of five-yearly assessment. This is based on the Flexible Complementing Scheme as applicable to other scientific organisations like Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), Defence Research & Development Organisation (DRDO) etc.